बंगाल (इंडियन) टाइगर-कुछ तथ्य

लम्बाई: 2.5-3 मीटर

भार: 125-250 कि.ग्रा.

आबादी: 1165 - 1657* (औसत 1411)

जीवन काल (जंगल में): लगभग 10-16 वर्ष

मुख्य शिकार: चीतल, सांभर, जंगली सूअर

प्रजनन की उम्र: 3-4 वर्ष (मादा), 4-5 वर्ष (नर)

गर्भधारण अवधि: 105-112 दिन

स्थिति: संकटग्रस्त

महत्व: विश्व के बाघों की लगभग आधी आबादी भारत में है।

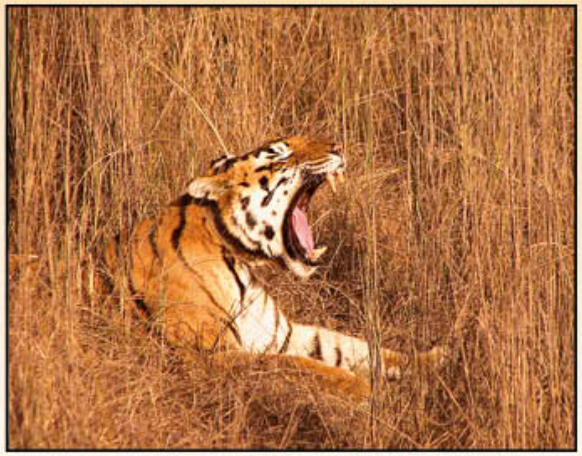

* डब्ल्यू.आई.आई. और एन.टी.सी.ए. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में किए गए निगरानी कार्य के अनुसार

छाया चित्र आभार: समीर सिन्हा आई एफ एस/ ट्रैफिक-इंडिया, संतोष सालिग्राम, अमीन अहमद/ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, एन बी एल/डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, दिवाकर शर्मा/डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया, जोसेफ वट्टाकवन/ डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया,

डिजाइन: अनिल चेरुकूपल्ली

संकलन और संपादन: प्रजातियां और भू-क्षेत्र कार्यक्रम

प्रकाशन: मई 2010

हम कहां काम करते हैं

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया वर्तमान में भारत के निम्नलिखित भू-क्षेत्रों में बाघ के संरक्षण हेतु काम करता है:

भू-क्षेत्र:

1. तराई चाप भू-क्षेत्र (उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार)
2. सतपुड़ा-मैकाल भू-क्षेत्र (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र)
3. पश्चिमी घाट-नीलगिरि भू-क्षेत्र (केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक)
4. सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)
5. उत्तरी तट भू-क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश)
6. काजीरंगा कार्बी आंगलॉन्ग भू-क्षेत्र (असम, मेघालय, नागालैंड)

बाघ आरक्षित क्षेत्र:

7. रणथम्बोर (राजस्थान)
8. सिमिलिपाल और सातकोसिया (उड़ीसा)
9. बक्सा (पश्चिम बंगाल)
10. पन्ना (मध्य प्रदेश)

WWF *for a living planet®*

बाघ का संरक्षण

चुनौतियां, प्रतिक्रियाएं एवं आप क्या कर सकते हैं

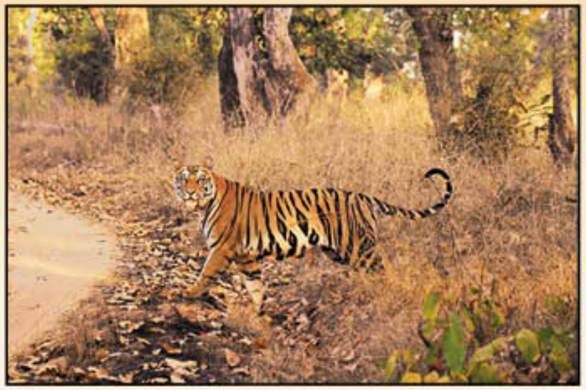

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया
172-बी, लोधी एस्टेट
नई दिल्ली - 110003
दूरभाष: +91 11 4150 4783
www.wwfindia.org

चुनौतियां

सूत्रों के अनुसार, बीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारत के वनों में हजारों बाघ थे। वर्ष 2008 में स्वचालित गुप्त कैमरा विधि द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार, अब हमारे पास मात्र 1411 बाघ बचे हैं।* यह संख्या इतनी कम है कि यदि हम इस संकट के प्रति सचेत न हुए तो ये भी सदा के लिये लुप्त हो जाएंगे। बाघ को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन गई हैं:

<u>प्राकृतिक आवास स्थलों की विलुप्ति</u>: वनों के बीच सड़क निर्माण, खनन, संसाधनों के अव्यवहार्य दोहन जैसी गतिविधियों के कारण बाघ के प्राकृतिक आवास स्थलों को नुकसान हो रहा है और ऐसे स्थल टुकड़ों में सिमट रहे हैं। यह भारत में बाघ के अस्तित्व के लिए एक प्रमुख दीर्घकालीन खतरा है। ये गतिविधियां हाल के चंद दशकों में बहुत अधिक बढ़ गई हैं।

<u>अवैध शिकार</u>: अब बाघों को उनके सभी क्षेत्रों में संरक्षित घोषित किया गया है और बाघ के अंगों तथा उनसे बनाए जाने वाली सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवैध है। इसके बावजूद, बाघ के विभिन्न अंगों की उपभोक्ता द्वारा मांग को पूरा करने के लिए इसका अवैध शिकार जारी है, और इसकी खाल का सबसे अधिक व्यापार हो रहा है। यह अवैध शिकार, विशेष रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है, विश्व भर में इसकी प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा तात्कालिक खतरा है।

<u>मनुष्य से टकराव</u>: क्योंकि बाघ निरंतर अपने प्राकृतिक आवास और शिकार खो रहे हैं, अतः उनका मनुष्यों से अधिकाधिक टकराव हो रहा है। जब बाघ अपने संरक्षित क्षेत्र से बाहर आते हैं, तो कभी भोजन के लिए वे पालतू जानवरों का शिकार कर डालते हैं। प्रतिशोध स्वरूप, कभी–कभी वे ग्रामवासियों द्वारा मार दिए जाते हैं।

* डब्ल्यू.आई.आई. और एन.टी.सी.ए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में किए गए निगरानी कार्य के अनुसार

प्रतिक्रियाएं

भारत सरकार ने 1973 में डब्ल्यूडब्ल्यूफ के सहयोग से बाघ परियोजना प्रारम्भ की थी। तभी से डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, सरकार द्वारा बाघ संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों में सहयोग दे रहा है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया का लक्ष्य बाघ के प्राकृतिक आवास को बहाल करने और उसे बनाए रखने में सहायता करना और साथ ही बाघ तथा इसके शिकार की रक्षा करने में सहायता करना भी है। छह प्राथमिकता वाले भू–क्षेत्रों (एवं उनके बाहर अनेक बाघ संरक्षण क्षेत्रों) को चिह्नित किया गया है, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया के दीर्घकालीन सुरक्षा प्रयास केंद्रित किए जा रहे हैं, ताकि जंगलों में भारतीय बाघों के दीर्घकालिक अस्तित्व का उद्देश्य हासिल किया जा सके। इन क्षेत्रों में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया तथा इसके सहयोगी निम्नलिखित विषयों पर काम करते हैं:

- मनुष्य और बाघ के टकराव में कमी सुनिश्चित करते हुए, बाघ के प्राकृतिक आवासों को जोड़ने वाले गलियारों की सुरक्षा, उन्हें बहाल करना, उनकी निगरानी एवं प्रबंधन।

- स्थानीय समुदायों के जीवकोपार्जन हेतु वैकल्पिक सूत्रों को बढ़ावा देकर बाघ के प्राकृतिक आवास स्थलों पर मनुष्य का दबाव घटाना।

- बाघ तथा इसके शिकार की प्रजातियों का अवैध शिकार रोकने के लिए, वन विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को अधिक सशक्त बनाना।

- बाघों तथा उनके प्राकृतिक आवास स्थलों की सुरक्षा हेतु कारगर उपाय करने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर नीतियों के लिए जानकारी प्रदान करना।

- बाघ संरक्षण हेतु राजनैतिक इच्छा शक्ति और समाज के सभी वर्गों में जन सहयोग को बढ़ावा देना।

आप क्या कर सकते हैं?

<u>अधिक जागरूक बनें</u>: पुस्तकों में और वेबसाइटों पर जानकारी पढ़कर, विशेषज्ञों के वक्तव्य सुनकर तथा वन विभाग व गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले निगरानी/आंकलन अभियानों में हिस्सा लेकर, बाघ संरक्षण के मुद्दों पर अपनी जागरूकता बढ़ाएं। यह जानकारी बाघ संरक्षण की दिशा में आपके दृष्टिकोण और कार्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी।

<u>जानकारी फैलाएं</u>: अन्य लोगों को बताएं कि बाघ एवं उसके प्राकृतिक आवास स्थल संकट में हैं और उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है। विद्यालय भी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया के एन सी आई (नेचर क्लब ऑफ इण्डिया) के सदस्य बनकर बच्चों में ज्ञान का संचार कर सकते हैं।

<u>जिम्मेदार पर्यटक बनें</u>: वन्य जीवन एक अनुभव के लिए है, नाकि व्यवधान डालने और प्रदूषण फैलाने के लिए। किसी वन्य क्षेत्र में जाते समय प्रकृति का आदर करें। जंगल के भीतर आग न जलाएं। जंगली क्षेत्र में यात्रा करते समय सावधानी से गाड़ी चलाएं, ताकि दुर्घटना से जानवर न मरें। जंगल में रहने के दौरान जो भी कचरा आप पैदा करते हैं, उसे अपने साथ वापस ले आएं।

<u>घूमें और सीखें</u>: आप घूमने जाकर स्थानीय समुदायों से बातचीत के द्वारा संरक्षण के मुद्दों को उनके नजरिये से समझ सकते हैं और विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों में स्थानीय समुदायों के साथ मदद कर सकते हैं।

<u>जन प्रतिनिधियों को लिखें</u>: निर्णय का अधिकार रखने वालों – प्रधान मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री अथवा स्थानीय सांसद एवं विधायक को – नर्म भाषा में पत्र लिखकर उनसे बाघ संरक्षण की दिशा में और अधिक उपायों का अनुरोध करें।

<u>वन्य जीवों का व्यापार रोकने में सहायता करें</u>: वन्य जीवों के अवैध व्यापार संबंधी कोई भी जानकारी देने हेतु ट्रैफिक–इंडिया से संपर्क करें। (वेब:www.traffic.org, ईमेल: trafficind@wwfindia.net, दूरभाष: 011 41504786, फैक्स: 011 43516200)

<u>प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करें</u>: तीन बातें याद रखें: कम उपभोग, पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग, विशेषतः वनों से प्राप्त वस्तुओं के मामले में, जैसे लकड़ी और कागज।

<u>हमारे कार्य में सहयोग दें</u>: इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ–इंडिया अथवा दूसरे प्रकृति संरक्षण संगठनों को दान दें तथा दूसरे लोगों को भी दान देने के लिए प्रेरित करें।

<u>अधिक जानकारी हेतु देखें</u>: www.wwfindia.org/tigers , www.projecttiger.nic.in